राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2671/2016

सुनील कुमार वाजपेयी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, अजमेर।
3. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II) निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.10.2016

आदेश की दिनांक : 03.06.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.04.2016 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की सेवा की गणना उसकी नियुक्ति दिनांक से की जाकर 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 23.03.2014 से द्वितीय एसीपी ग्रेड पे 4800 में वेतन नियतन किया जावे एवं मय शेष राशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 23.02.1996 के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर हुई थी और दिनांक 31.03.2001 से अपीलार्थी को स्थायी किया गया। अपीलार्थी की 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर आदेश दिनांक 13.05.2005 द्वारा प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया। आरपीएससी अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल होने पर आदेश दिनांक 09.04.2013 के द्वारा अपीलार्थी को लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। परिपत्र दिनांक 13.03.2006 के अनुसार लेखाकार पद पर नियुक्ति पर परिवीक्षाधीन कार्मिक के नियत वेतन के स्थान पर पूर्व पदस्थापित पद अनुसार वेतन भत्ते व अन्य परिलाभ प्रदान करने का विकल्प प्रत्यर्थीगण के समक्ष प्रस्तुत किया गया और प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी के विकल्प पत्र को स्वीकार करते हुये पूर्व पद पर प्रदान किये जा रहे वेतन भत्ते एवं अन्य परिलाभ का नियमित भुगतान किया गया। अपीलार्थी ने पूर्व पदस्थापित विभाग से दिनांक 15.04.2013 को कार्यमुक्त होकर दिनांक 16.04.2013 को लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण किया। उनका कथन है कि अपीलार्थी दिनांक 23.03.1996 से 15.04.2013 तक कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत रहा और 9 वर्ष की सेवा पर प्रथम चयनित वेतनमान 5000–8000 स्वीकृत किया गया और अपीलार्थी आरपीएससी से चयनित होने के कारण उसी संवर्ग में समान ग्रेड पे धारण करते हुये कार्यरत है। अतः उक्त सेवाओं को एसीपी दिये जाने हेतु गणना किये जाने का नियमों में प्रावधान है और इस प्रकार अपीलार्थी 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 23.03.2014 से 4800 ग्रेड पे में लाभ प्रदान करते हुये एसीपी प्रदान की जानी चाहिये। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने समान प्रकरण में अधिकरण द्वारा अपील संख्या 1325/2000 चंदन मल सेन बनाम सचिव राजस्व विभाग व अन्य में अपील स्वीकार की गई। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.04.2016 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की सेवा की गणना उसकी नियुक्ति दिनांक से की जाकर 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 23.03.2014 से द्वितीय एसीपी ग्रेड पे 4800

में वेतन नियतन किया जावे एवं मय शेष राशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार की नियुक्ति तक के तथ्य विवादित नहीं हैं। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.2009 के बिंदु संख्या 7(iii) का विवेचन अपीलार्थी द्वारा अपने हित में अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया है। जबकि उक्त बिंदु संख्या में स्पष्ट अंकित है कि पूर्व विभाग में की गई सेवाओं के पद की ग्रेड पे नवीन विभाग में नियमित नियुक्ति की ग्रेड पे के समान होनी चाहिये। जैसे पटवारी एवं कनिष्ठ लिपिक। वित्त विभाग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति उच्च ग्रेड पे में हो जाने के कारण अपीलार्थी कनिष्ठ लेखाकार के पद की सेवायें एसीपी के लिये गणना योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि अपीलार्थी लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती से चयन से पूर्व दिनांक 23.03.2005 से लेखाकार पद के समान वेतनमान में वेतन आहरित कर रहा था। अपीलार्थी की न तो सेवा बदली, न संवर्ग बदला और न ही विभाग। उसने उसी संवर्ग व विभाग में लगातार 18 वर्ष की नियमित सेवा की है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये एसीपी का लाभ नहीं दिया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 23.02.1996 के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर हुई थी। अपीलार्थी की 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर आदेश दिनांक 13.05.2005 द्वारा प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया। आरपीएससी अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल होने पर आदेश दिनांक 09.04.2013 के द्वारा अपीलार्थी को लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। परिपत्र दिनांक 13.03.2006 के अनुसार लेखाकार पद पर नियुक्ति पर परिवीक्षाधीन कार्मिक के नियत वेतन के स्थान पर पूर्व पदस्थापित पद अनुसार वेतन भत्ते व

अन्य परिलाभ का नियमित भुगतान किया गया। अपीलार्थी दिनांक 23.03.1996 से 15.04.2013 तक कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत रहा और 9 वर्ष की सेवा पर प्रथम चयनित वेतनमान 5000–8000 स्वीकृत किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 23.03.2014 से 4800 ग्रेड पे में लाभ प्रदान करते हुये एसीपी प्रदान की जानी चाहिये। परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ प्रदान नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 23.03.2014 से द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने का प्रश्न है, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.2009 के बिंदु संख्या 7(iii) में स्पष्ट अंकित है कि पूर्व विभाग में की गई सेवाओं के पद की ग्रेड पे नवीन विभाग में नियमित नियुक्ति की ग्रेड पे के समान होनी चाहिये। जैसे पटवारी एवं कनिष्ठ लिपिक। वित्त विभाग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति उच्च ग्रेड पे में हो जाने के कारण अपीलार्थी कनिष्ठ लेखाकार के पद की सेवायें एसीपी के लिये गणना योग्य नहीं है। चूंकि अपीलार्थी कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्त है और आरपीएससी द्वारा वह लेखाकार के पद पर नियुक्त हुआ है। इस प्रकार हमारे मत में कनिष्ठ पद की सेवा अवधि की गणना एसीपी आदि लाभ देने के संबंध में वरिष्ठ पद लेखाकार में किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार हम अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य